



15.03.2021

किसी कारणवश पत्रावली अब तक पेश नहीं गई और न ही प्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ताओं द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित तकाजा किया गया। पूर्व रीडर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इस वजह से आर्डर शीट अधूरी रह गई है। पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री हंसराज अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 26.03.2021 को पेश हो।


रीडर

26.03.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री हंसराज अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री पेरोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि इस रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को अब आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अतः जरिये Withdrawal खारिज करना फरमावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता को कोई ऐतराज नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।


(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरौही

